191126 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि
प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र लोकायुक्त अधीनस्थ
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी टोडारायसिंह पंचायत
समिति टोडारायसिंह व सरपंच के अन्य
सदस्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने
बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ
न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में
अप्रार्थी गण प्रतिवादी गण अधीनस्थ न्यायालय
के भी स्थानीय अधिकारी के पद रसूख आकर
बैठते है तथा अपने पक्ष में फैसला
करवाने के प्रयासरत है। इस लिये प्रार्थी
अपने प्रकरण को न्यायालय राज्य में न्याय
नही पा रहा है क्योंकि कार्यवाही पर
प्रार्थी को कोई विश्वास नही रहा है।
प्रकरण सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने
का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही करवाना मात्र अप्रार्थी
के वकील को यदि उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह
पंचायत से तथ्यात्मक रिपोर्ट तथ्य की मात्र
प्राप्त होने पर धा० मिसल की गई। अप्रार्थी
उपस्थित नही हुआ।

इसने प्रार्थनापत्र पर बहस की। प्रार्थी
की ओर से उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन
किया गया। मील प्रार्थी को दस्तावेजात
पर गौर व मनन किया गया उप खण्ड अधि.

उप खण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा)

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

हुक्म तारीख	हुक्म या कमिश्नर या सेशन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
	अति० जिला कलक्टर लालसोट (दौसा) — आदेशिका —	
	रामगढ़ पचवारा की तल्लात्मक स्थिति का अवलोकन किया एवं उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा ने भी अपनी स्थिति अवगत किया कि प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय को हस्तगत नहीं है। अतः याचिका में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा में विचाराधीन वाद पत्र लाने निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रार्थना पत्र वाद खारिज दाखिल हो उक्त आदेश से उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को तहरीर करती है।	तहरीर 68 / 4-2-26

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)